

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर जिला
भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 107/2019 (2019/00253)

दर्ज दिनांक 10.10.2019

वाद- अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. ज्वारु आत्मज परथु गुजर
2. श्रीमती केसर बेवा परथु गुजर
सर्व निवासी गठीला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भगवान आत्मज परथु गुजर
2. कैलाश आत्मज परथु गुजर
सर्व निवासी गठीला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति- अधिवक्ता वादीगण:-श्री शंभुलाल गुजर
पेरोकार सरकार

वाद पत्र बाबत घोषणात्मक एवं इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक 06.07.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गठीला पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 50 में परथु आत्मज माना गुजर के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की कृषि आराजियात संख्या 366, 799/354, 802/355, 811/370, 814/371, 815/378, 822/382, 833/672 कुल किता 8 कुल रकबा 1.40 हे0 भूमि स्थित है।

इसी प्रकार ग्राम गठीला पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 90 में परथु आत्मज माना गुजर के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की कृषि आराजियात संख्या 390 रकबा 0.02 हे0 किस्म गे0मु0 आराजी चाह स्थित होकर उसमें परथु का 1/10 हिस्सा स्थित होकर दर्ज हैं

इसी प्रकार ग्राम गठीला पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 111 में परथु आत्मज माना गुजर व अन्य के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 360, 387, 388, 389/750, 689 कुल किता 5 कुल रकबा 0.29 हे0 भूमि स्थित होकर उसमें परथु का 1/5 हिस्सा निहित हैं।

इसी प्रकार ग्राम गठीला पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 55 में परथु आत्मज माना गुजर व अन्य के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 356, 357, 358, 359, 804/361, 817/381 कुल किता 6 कुल रकबा 0.62 हे० भूमि स्थित होकर उसमें परथु का 1/4 हिस्सा निहित हैं।

यह कि उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार परथु आत्मज माना गुजर की मृत्यु हो गई तथा उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 301 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के नाम जो कि उनके प्रथम श्रेणी के वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से दिनांक 25.05.2016 को दर्ज फ़ैसल किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटि पूर्ण तरीके से वादीगण का नाम ज्वारू आत्मज परथु व केशर बेवा परथु दर्ज कर दिया तथा उसी अनुसार नामान्तरकरण फ़ैसल कर दिया जिससे उनका अमल दरामद भी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हो गया। जिसको दुरुस्त करवाया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायोचित है।

यह कि वादीगण का उनके आधार कार्ड में भी नाम ज्वारू आत्मज परथु गुजर व केशर पत्नि परथु गुजर है व अन्य सारे सरकारी दस्तावेज में भी ये ही नाम दर्ज है। जिससे राजस्व रेकार्ड व इन सरकारी दस्तावेज में भिन्नता आने से वादीगण राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान योजनाओं व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ वादीगण नहीं उठा पा रहे हैं। वादीगण ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रतिवादी संख्या तीन के यंहा कई बार आवेदन भी किये परन्तु अभी तक वादीगण का नाम दुरुस्त नहीं हुआ है। जिससे वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा।

यह कि दिनांक 21.08.2019 को ऋण माफी योजना के तहत संबंधित बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर में ऋण माफी के लिए वादीगण गये तो वे इस त्रुटि पुर्ण नाम होने से ऋण माफी करने से मना कर दिया। जिससे वादीगण को अपना नाम दुरुस्त कराया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि :-

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम गठीला पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 50 में स्थित आराजियात संख्या 366, 799/354, 802/355, 811/370, 814/371, 815/378, 822/382, 833/672 कुल किता 8 कुल रकबा 1.40 हे० भूमि व राजस्व खाता संख्या 90 में अंकित आराजियात संख्या 390 रकबा 0.02 हे० भूमि व राजस्व खाता संख्या 111 में अंकित आराजियात संख्या 360, 387, 388, 389/750, 689 कुल किता 5 कुल रकबा 0.29 हे० भूमि व राजस्व खाता संख्या 55 में अंकित आराजियात संख्या 356, 357, 358, 359, 804/361, 817/381 कुल किता 6 कुल रकबा 0.62 हे० भूमियों में दर्ज वादीगण के नाम ज्वारमल पिता परथु व केशी बेवा परथु के बजाय ज्वारू आत्मज परथु व केशर बेवा परथु गुर्जर बैतोर खातेदार दर्ज कराये जावे व इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती उक्त आराजियात के सभी राजस्व रेकार्ड में कराई जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 10.10.2019 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। परोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई साक्ष्यवादी में वादीगण द्वारा शपथ पत्र पीडब्ल्यू-1 पेश किये गये। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में वादी जवारू पिता परथु गुर्जर ने अपने बयान पी.डब्ल्यू - 1 लेखबद्ध करा मैंने मुख्य परीक्षा का शपथ-पत्र पेश किया है। शपथ पत्र में ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रमाणित नकल जमांबदी ग्राम गठीला संवत् 2072-75 खाता संख्या 50 पेश की जो प्रदर्श -1 है। जमांबदी ग्राम गठीला संवत् 2072-75 खाता संख्या 55 पेश की जो प्रदर्श -2 है। जमांबदी ग्राम गठीला संवत् 2072-75 खाता संख्या 90 पेश की जो प्रदर्श -3 है। जमांबदी ग्राम गठीला संवत् 2072-75 खाता संख्या 111 पेश की जो प्रदर्श -4 है। नामान्तरण संख्या 301 ग्राम गठीला दिनांक 25.05.2016 जो कि प्रदर्श -5 है। मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श पी-6 है। मेरी माता केसर देवी पत्नि परथु गुर्जर के आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श पी-7 है। नकल जमांबदी ग्राम गठीला संवत् 2072-75 तक जो खाता संख्या 134 है प्रदर्श -8 हैं। जिरह एक पक्षीय शून्य होन से प्रकरण बहस में नियत किया गया।

उक्त प्रकरण पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम गठीला पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 50 में स्थित आराजियात संख्या 366, 799/354, 802/355, 811/370, 814/371, 815/378, 822/382, 833/672 कुल किता 8 कुल रकबा 1.40 हे० भूमि व राजस्व खाता संख्या 90 में अंकित आराजियात संख्या 390 रकबा 0.02 हे० भूमि व राजस्व खाता संख्या 111 में अंकित आराजियात संख्या 360, 387, 388, 389/750, 689 कुल किता 5 कुल रकबा 0.29 हे० भूमि व राजस्व खाता संख्या 55 में अंकित आराजियात संख्या 356, 357, 358, 359, 804/361, 817/381 कुल किता 6 कुल रकबा 0.62 हे० भूमियों में दर्ज वादीगण के नाम ज्वारमल पिता परथु व केशी बेवा परथु के बजाय ज्वारू आत्मज परथु व केसर बेवा परथु गुर्जर बैतोर खातेदार दर्ज कराये जावे व इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती उक्त आराजियात के सभी राजस्व रेकार्ड में करवाना न्यायेचित है।

वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् प्रदर्श-1 से प्रदर्श-8 कुल आठ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। परोकार सरकार ने उक्त बहस एवं वाद पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहीर की है।

मैंने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों, प्रस्तुत बहस के अवलोकन पर वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं-

सहायक क्लर्क
सिपाखात अधिकारी
भगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

-: आदेश :-

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को ग्राम गठीला पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे खाता संख्या 50 में स्थित आराजियात संख्या 366, 799/354, 802/355, 811/370, 814/371, 815/378, 822/382, 833/672 कुल किता 8 कुल रकबा 1.40 हे0 भूमि व राजस्व खाता संख्या 90 में अंकित आराजियात संख्या 390 रकबा 0.02 हे0 भूमि व राजस्व खाता संख्या 111 में अंकित आराजियात संख्या 360, 387, 388, 389/750, 689 कुल किता 5 कुल रकबा 0.29 हे0 भूमि व राजस्व खाता संख्या 55 में अंकित आराजियात संख्या 356, 357, 358, 359, 804/361, 817/381 कुल किता 6 कुल रकबा 0.62 हे0 भूमियों में दर्ज वादीगण के नाम ज्वारमल पिता परथु व केशी बेवा परथु के बजाय जवारु आत्मज परथु व केसर बेवा परथु गुर्जर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

पश्चात्वा बाद दाखला रजिस्टर के फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



सहायक कलक्टर
(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 4.

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापूर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 107/2019 (2019/00253)

दर्ज दिनांक 10.10.2019

वाद- अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. ज्वारु आत्मज परथु गुजर
2. श्रीमती केसर बेवा परथु गुजर
सर्व निवासी गठीला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भगवान आत्मज परथु गुजर
2. कैलाश आत्मज परथु गुजर
सर्व निवासी गठीला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति- अधिवक्ता वादीगण:-श्री शंभुलाल गुजर
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 06.07.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शंभुलाल गुजर एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 06.07.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि ----x---- और इस वाद के खर्च लेखे -----x----- रुपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----x----- प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----x----- द्वारा -----x----- को दी जाए।

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर को ग्राम गठीला पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 50 में स्थित आराजियात संख्या 366, 799/354, 802/355, 811/370, 814/371, 815/378, 822/382, 833/672 कुल किता 8 कुल रकबा 1.40 हे0 भूमि व राजस्व खाता संख्या 90 में अंकित आराजियात संख्या 390 रकबा 0.02 हे0 भूमि व राजस्व खाता संख्या 111 में अंकित आराजियात संख्या 360, 387, 388, 389/750, 689 कुल किता 5 कुल रकबा 0.29 हे0 भूमि व राजस्व खाता संख्या 55 में अंकित आराजियात संख्या 356, 357, 358, 359, 804/361, 817/381 कुल किता 6 कुल रकबा 0.62 हे0 भूमियों में दर्ज वादीगण के नाम ज्वारमल पिता परथु व केशी बेवा परथु के बजाय ज्वारु आत्मज परथु व केसर बेवा परथु गुजर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेंगे।

सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज0)

डिक्री आज दिनांक 06.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज0)